[2020] 11 एस.सी.आर. 268

एच.सी. के ट्रस्टी ढांडा न्यास

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3195-3196/2020)

सितम्बर 17, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

स्टाम्प अधिनियम, 1899: धारा 40(1)(बी) - उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगने पर अधिकतम जुर्माना लगाना - का स्वामित्व - तत्काल मामले में, अपीलार्थी के निष्पादकों/न्यासियों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था - हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके लाभार्थियों को अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और निहित करने के लिए न्यास - हालांकि, बाद में रु. 200 के स्टांप शुल्क के भुगतान पर उनके बीच एक सहमति पत्र निष्पादित किया गया था, जिसके तहत न्यासियों ने लीगेटियों के शीर्षक को पूरा करने और लाभार्थियों के पक्ष में पूरी तरह से निहित करने के लिए सहमति दी थी - डाक टिकट कलेक्टर ने स्वीकृति पत्र को उपहार विलेख के रूप में अभिनिर्धारित किया और रु. 1.28 लाख की सीमा तक घाटे शुल्क की मांग की और दस गुना जुर्माना भी लगाया - राजस्व बोर्ड ने कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखा - पीड़ित अपीलार्थी-ट्रस्ट ने रिट याचिका दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया - तत्काल मामले में, मुद्दा यह है कि क्या धारा 40 के तहत डाक टिकट कलेक्टर द्वारा दस गुना जुर्माना वैध रूप से लगाया गया था – अभिनिर्धारित : धारा 40 (1) (ख) की सांविधिक स्कीम कलेक्टर को दस गुना से अनधिक दंड राशि अधिरोपित करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है - जब कानून किसी प्राधिकरण को विवेकाधिकार हस्तांतरित करता है, तो विवेकाधिकार का प्रयोग अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में किया जाना है - धारा 40 (1) (बी) के तहत दस गुना जुर्माना न तो स्वचालित है और न ही इसे यांत्रिक रूप से लगाया जा सकता है - इस तरह के चरम दंड का अधिरोपण केवल कर्तव्य की चोरी के तथ्य पर आधारित नहीं हो सकता है - कलेक्टर ने अपने आदेश में दस गुना जुर्माना लगाते हुए कारण बताया कि पक्ष ने कर्तव्य से बचने के इरादे से दस्तावेज़ की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख नहीं किया था - कलेक्टर या उच्च न्यायालय द्वारा अधिकतम दस गुना जुर्माना लगाने को उचित ठहराते हुए कोई अन्य कारण नहीं बताया गया था - यह कलेक्टर का मामला नहीं था कि अपीलार्थी का आचरण बेईमान या दूषित था - उच्च न्यायालय ने देखा कि यद्यपि न्यासियों द्वारा अंतरण विलेख को निष्पादित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने जानबूझकर Rs.200/- के स्टांप पेपर पर सहमति पत्र के नाम पर विलेख को निष्पादित किया। इस प्रकार, कलेक्टर के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण के लिए कि दस्तावेज़ को सहमति पत्र के रूप में वर्णित करने में स्टांप शुल्क से बचने का इरादा था, जुर्माना लगाने की मांग की गई थी, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों और कलेक्टर द्वारा दिए गए कारणों में, यह स्टांप शुल्क की कमी के दस गुना अत्यधिक जुर्माना

लगाने का मामला नहीं था - न्याय के अंत में, स्टांप शुल्क में कमी के आधे यानी पांच गुना की सीमा तक जुर्माना कम हो गया

दंड: लोक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपण - आयोजित: दंड का उद्देश्य आम तौर पर एक प्रतिरोध है न कि प्रतिशोध - जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को विवेकाधिकार दिया जाता है, तो ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण को इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए न कि दमनकारी तरीके से - उचित तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग करने की जिम्मेदारी उन मामलों में अधिक निहित है जहां क़ानून द्वारा निहित विवेकाधिकार निरंकुश है-स्टाम्प अधिनियम, 1899 – धारा 40(1)(ख).

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए:

अभिनिर्धारित : 1.1 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 40 में ज़ब्त किए गए मुद्रांकन उपकरणों पर मुद्रांकन करने की कलेक्टर की शक्ति का प्रावधान है। धारा 40 (1) (ख) के अनुसार यदि कलेक्टर की राय है कि ऐसा लिखत शुल्क के साथ प्रभार्य है और उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, तो वह उचित शुल्क या उसकी भरपाई के लिए अपेक्षित राशि के भुगतान की अपेक्षा करेगा, साथ ही पांच रुपये के जुर्माने की मांग करेगा; या, यदि वह उचित समझता है, तो ऐसी राशि जो उचित शुल्क की राशि या उसके कम हिस्से के दस गुना से अधिक न हो। धारा 40 (1) (बी) की वैधानिक योजना इंगित करती है कि जब कलेक्टर संतुष्ट होता है कि उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो उसे पांच रुपये के जुर्माने के साथ उचित शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी। धारा 40 (1) (ख) का सुसंगत भाग जो इन अपीलों में विचार के लिए आता है: "या, यदि वह उचित समझता है, तो ऐसी राशि जो उचित शुल्क या उसके कम हिस्से की राशि के दस गुना से अधिक न हो। [अनुच्छेद 15,16]

1.2 "दस गुना से अधिक राशि नहीं" अभिव्यक्ति से पहले "यदि वह उचित समझता है" अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार, वैधानिक योजना, कलेक्टर को दस गुना से अधिक नहीं जुर्माना राशि लगाने का विवेकाधिकार देती है। जब भी कानून किसी प्राधिकरण को विवेकाधिकार हस्तांतरित करता है तो अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना है। विवेकाधिकार का प्रयोग सनक या कल्पना पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विवेक का प्रयोग उचित तरीके से तर्कसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। जुर्माने की राशि जो दस गुना से अधिक न हो, बल के रूप में लगाई जाने वाली राशि नहीं है। धारा 40 (1) (ख) के तहत दस गुना जुर्माना न तो स्वतः लगाया जाता है और न ही इसे यांत्रिक रूप से लगाया जा सकता है। [अनुच्छेद 17]

1.3 धारा 35 में विचार किया गया है कि जब उचित शुल्क या उसके हिस्से की कमी की राशि का दस गुना पांच रुपये से अधिक हो जाता है, तो ऐसे शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि जमा करने की आवश्यकता होती है। धारा 39 के तहत, कलेक्टर को जुर्माना वापस करने का अधिकार है। धारा 35 (ए) के तहत ऐसे शुल्क या कम हिस्से के दस गुना के बराबर राशि का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन धारा 39 कलेक्टर को पांच रुपये से अधिक के जुर्माने के किसी भी हिस्से को वापस करने का अधिकार

देती है जो निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया हैः "यदि वह उचित समझता है तो पांच रुपये से अधिक के जुर्माने के किसी भी हिस्से को वापस कर देता है जो ऐसे लिखत के संबंध में भुगतान किया गया है। विधायी आशय जो धारा 33,35,38 और 39 के पठन से स्पष्ट है, इंगित करता है कि लिखत पर विधिवत मुहर न लगे होने के संबंध में, दंड का दस गुना हमेशा नहीं रखा जाता है और दंड को कम करने के लिए धारा 39 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, इस संबंध में दंड की वापसी के लिए कलेक्टर में एक वैधानिक विवेकाधिकार है। [अनुच्छेद 18,19]

गंगटप्पा और अन्य बनाम फक्किरप्पा (2019) 3 एससीसी 788 : [2018] 13 एस.सी.आर.603 - संदर्भित।

2.1 दंड का उद्देश्य आम तौर पर एक प्रतिरोध होता है न कि प्रतिशोध। जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को विवेकाधिकार दिया जाता है, तो ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण को इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए न कि दमनकारी तरीके से। विवेक का उचित तरीके से प्रयोग करने की जिम्मेदारी उन मामलों में अधिक निहित है जहां कानून द्वारा निहित विवेक निरंकुश है। अत्यधिक दंड का अधिरोपण अर्थात शुल्क का दस गुना या उसके हिस्से की कमी केवल कर्तव्य की चोरी के तथ्य पर आधारित नहीं हो सकती है। राजस्व या अनुचित संवर्धन से वंचित करने के लिए धोखाधड़ी या छल जैसे कारण इस निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक कारक हैं कि धारा 40 (1) के तहत दंड की सीमा क्या होनी चाहिए। (b). [पैरा 21]

पेटेटी सुब्बा राव बनाम अनुमाला एस. नरेंद्र (2002) 10 एससीसी 427 - पर निर्भर।

2.2. कलेक्टर ने अपने आदेश में दस गुना जुर्माना लगाकर लागू करने का कारण दिया है क्योंकि "पक्ष ने कर्तव्य से बचने के इरादे से दस्तावेज़ की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख नहीं किया है"। जब कलेक्टर को कर्तव्य से बचने का इरादा हुआ, तो यह जुर्माना लगाने का मामला था, लेकिन क्या कलेक्टर द्वारा दिया गया कारण दस गुना अत्यधिक जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त है, इस सवाल पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। कलेक्टर या उच्च न्यायालय द्वारा अधिकतम दस गुना जुर्माना लगाने को उचित ठहराते हुए कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। यह कलेक्टर का मामला नहीं है कि अपीलार्थी का आचरण बेईमान या अपमानजनक था। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्याय के अंत में, लगाए गए दंड को आधा यानी अर्थात की सीमा तक कम कर दिया जाता है। मुद्रांक शुल्क में कमी का पाँच गुना। [अनुच्छेद 24,25,26].

मामला कानून संदर्भ

[2018] 13 एससीआर 603	करने के लिए भेजा	अनुच्छेद 20
(2002) 10 एससीसी 427	पर भरोसा	अनुच्छेद 22

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 2020 का 3195-3196.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, इंदौर की बेंच द्वारा रिट अपील संख्या 265/2017 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04.09.2017 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की बेंच द्वारा रिट याचिका संख्या 8888/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.03.2017 से।

एजी पुरूषेंद्र कौरव, तुषार मेहता, एसजी, सौरभ मिश्रा, एएजी, एके चितले, कपिल सिब्बल, वीर कुमार जैन, सीनियर एडवोकेट्स, नीरज शर्मा, पुनीत जैन, हर्ष जैन, हर्षित खांडुजा, सुश्री क्रिस्टी जैन, अर्जुन गर्ग, सुश्री रति टंडन, आकाश नंदोलिया, विकास महाजन, विनोद शर्मा, अनिल कुमार, आकाश वर्मा, ऋषि तिवारी, जुबैर वारिस, उपस्थित पक्षों के अभिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अशोक भूषण, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इन अपीलों के द्वारा अपीलार्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की पीठ के विद्वत एकल न्यायाधीश के रिट याचिका संख्या 8888/2011 दिनांक 30.03.2017 के निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज करने के साथ-साथ विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर रिट अपील को खारिज करने वाले खंड पीठ के दिनांक 04.09.2017 के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। खण्ड पीठ ने दिनांक 04.09.2017 के अपने फैसले के माध्यम से रिट अपील को खारिज कर दिया है और इसे विचारणीय नहीं माना है।

3. इन अपीलों को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

इंदौर के महाराजा होल्कर की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री स्वर्गीय श्री हरीश चंद ढांडा ने 22.04.1946 के आदेश संख्या 58 द्वारा इंदौर के यशवंत निवास रोड पर स्थित 108,900 वर्ग फुट (एक लाख आठ हजार नौ सौ) भूमि का निःशुल्क उपहार प्राप्त किया। स्वर्गीय श्री एच. सी. ढांडा का निर्माण जमीन के उपरोक्त हिस्से में हुआ था, एक इमारत जिसे 'होटल लालटेन' के नाम से जाना जाता है। 5, रवींद्र नाथ टैगोर मार्ग, इंदौर में स्थित भूमि का एक अन्य टुकड़ा स्वर्गीय श्री एच सी ढांडा को उनके ससुर स्वर्गीय कर्नल वी बी जाधव द्वारा 05.10.1948 को उपहार में दिया गया था। स्वर्गीय श्री एच. सी. ढांडा के पास इंदौर शहर में कई अन्य चल और अचल संपत्तियां थीं, जिनसे हम वर्तमान अपीलों में संबंधित नहीं हैं। स्वर्गीय श्री एच. सी. ढांडा ने अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 26.10.2002 को निष्पादित की। अपनी वसीयत में उन्होंने उपरोक्त दो अचल संपत्तियों के अलावा अपनी चल और अचल संपत्तियों का उल्लेख किया और अपनी वसीयत से उन्होंने एक न्यास बनाया जिसमें उन्होंने अपने बेटे, योगेश ढांडा को न्यास का अध्यक्ष, श्री बी. जे. दवे, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंदौर और एक श्री छगनलाल नगर को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। अन्य संपत्तियों के अलावा उपरोक्त दो अचल संपत्तियों को उपरोक्त वसीयत के तहत न्यास में रखा गया था। वसीयत के तहत सभी न्यासी वसीयत के निष्पादक थे। श्री एच. सी. ढांडा का निधन 05.07.2003 को हुआ।

4. न्यासी मंडल की बैठक 06.04.2005 को अभिनिर्धारित की गई थी। निष्पादकों/न्यासियों द्वारा न्यासियों से लाभार्थियों को स्थल योजना के साथ एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके उसे पंजीकृत करके क्षेत्र हस्तांतरित करने और निहित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 21.04.2005 को श्री एच.सी. ढांडा ढांडा न्यास, एक भाग के रूप में एक निजी न्यास और अन्य भाग के रूप में जोगेश ढांडा और अन्य के बीच सहमति पत्र निष्पादित किया गया था। सहमति पत्र द्वारा न्यासियों/निष्पादकों ने लीगेटियों के खिताब को पूरा करने और लैंटर्न होटल और जहाज महल संपत्ति दोनों को उनके पक्ष में पूरी तरह से और हमेशा के लिए निहित करने के लिए सहमति दी। डाक टिकटों के कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि दिनांक 21.04.2005 के सहमति पत्र में उचित स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, 22.03.2007 उपस्थिति के लिए तय किया गया था। नोटिस में आगे कहा गया है कि दिनांक 21.04.2005 के दस्तावेज पर 1,62,82,150/- रुपये का घाटा स्टांप शुल्क और दस गुना जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। न्यास डाक टिकट कलेक्टर के सामने पेश हुआ और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। डाक टिकट कलेक्टर ने दिनांक 22.09.2008 को एक आदेश पारित किया जिसमें 21.04.2005 को एक उपहार विलेख के रूप में सहमति पत्र रखा गया था। कलेक्टर ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत, उपहार विलेख पर देय स्टांप शुल्क बाजार मूल्य का 8%, नगरपालिका शुल्क 1% और जनपद शुल्क 1% होगा। कलेक्टर ने 1,28,09,700/- रुपये की सीमा तक घाटा शुल्क पाया और दस गुना जुर्माना भी लगाया यानी 12,80,97,000/- रुपये। आदेश में न्यास से तीस दिनों के भीतर 14,09,06,700 रुपये की राशि जमा करने को कहा गया है। कलेक्टर के आदेश से व्यथित, अपीलार्थी द्वारा राजस्व बोर्ड, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के समक्ष संदर्भ आवेदन दायर किया गया था। राजस्व बोर्ड ने अपने दिनांक 25.10.2011 के आदेश में स्टांप शुल्क में 1,28,09,700 रुपये की कमी और 12,80,97,000 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा। आदेश में ट्रस्ट से तीस दिनों के भीतर 14,09,06,700 रुपये की राशि जमा करने को कहा गया है। राजस्व बोर्ड ने अपने दिनांक 25.10.2011 के आदेश में कलेक्टर के दिनांक 22.09.2008 के आदेश को बरकरार रखा और संदर्भ आवेदन को खारिज कर दिया। राजस्व बोर्ड के साथ-साथ डाक टिकट कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 8888/2011 दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2017 द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कलेक्टर के उस आदेश को बरकरार रखा जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क में कमी तथा दस गुना जुर्माना लगाया गया था।

5. अपीलार्थी द्वारा विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसे अपीलार्थी द्वारा 4.5.2017 को वापस ले लिया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय में रिट अपील दायर करने की स्वतंत्रता मांगी गई थी। रिट अपील अपीलार्थी द्वारा रिट अपील संख्या 255/2017 के रूप में दायर की गई थी, जिसे 4.9.2017 को खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसमें रिट अपील को विचारणीय नहीं माना गया है। उपर्युक्त दो आदेशों के विरुद्ध ये अपीलें अपीलार्थी द्वारा दायर की गई हैं।

6. इस न्यायालय ने अपने दिनांक 10.11.2017 के आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रभाव के लिए सीमित नोटिस जारी कियाः

"कलेक्टर द्वारा लगाए गए जुर्माने की मात्रा तक सीमित, छह सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी करें (टिकटों).

इस शर्त के अधीन कि स्टांप शुल्क का भुगतान एक महीने की अवधि के भीतर किया जाता है, जुर्माने के आदेश पर रोक होगी।

7. उपरोक्त सूचना के जवाब में प्रार्थियो उपस्थित हुए हैं।

8. हमने श्री **ए.के** को सुना है। अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चितले और राज्य की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता।

9. श्री **ए.के**. चीतल, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि 21.04.2005 को निष्पादित सहमति विलेख भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 331 और 332 के लिए निर्दिष्ट है। श्री चिताले ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन दस्तावेज उपहार विलेख नहीं है। श्री चिताले प्रस्तुत करते हैं कि डाक टिकट कलेक्टर द्वारा लगाया गया जुर्माना पूरी तरह से अवैध था। अपीलार्थी की ओर से कोई बेईमान आचरण नहीं था, सहमति पत्र को ईमानदारी से निष्पादित किया गया था जिस पर स्टांप शुल्क में कोई कमी नहीं थी। श्री चिताले प्रस्तुत करते हैं कि स्टाम्प कलेक्टर द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है कि स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करते समय अपीलार्थी पर अधिकतम दस गुना जुर्माना क्यों लगाया गया था। श्री चिताले प्रस्तुत करते हैं कि डाक टिकट कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र का उचित और निष्पक्ष तरीके से प्रयोग नहीं किया है और अपीलार्थी पर दस गुना जुर्माना लगाने को अपास्त किया जाना चाहिए।

10. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने अपीलार्थी के वकील के प्रस्तुत करने का खंडन करते हुए तर्क दिया कि दस्तावेज़ की प्रकृति को कलेक्टर द्वारा उपहार के रूप में पाए जाने के कारण स्टांप शुल्क में कमी को सही ढंग से निर्धारित किया गया है और दस गुना जुर्माना लगाया गया है। श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी का स्पष्ट इरादा स्टाम्प शुल्क के भुगतान से बचने का था जिसमें स्पष्ट रूप से दस गुना जुर्माना लगाने का आह्वान किया गया था। श्री मेहता ने राजस्व बोर्ड के आदेश का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि राजस्व बोर्ड ने भी दस गुना जुर्माना लगाने को यह कहते हुए बरकरार रखा है कि आवेदक ने जानबूझकर तथ्यों को दबाने के लिए सहमति पत्र का निष्पादन किया है, जिसके कारण स्टांप शुल्क का नुकसान हुआ है। इसे न तो गलत कहा जा सकता है और न ही अवैध।

11. हमने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

12. इन अपीलों में केवल यह प्रश्न निर्धारित किया जाना है कि क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 40 के तहत स्टाम्प कलेक्टर द्वारा दस गुना जुर्माना लगाया जाना वैध रूप से लगाया गया था या नहीं।

13. डाक टिकट कलेक्टर ने अपने दिनांक 22.09.2008 के आदेश द्वारा दिनांक 21.04.2005 के दस्तावेज़ की प्रकृति को उपहार विलेख के रूप में निर्धारित किया। डाक टिकट कलेक्टर ने अपने आदेश में संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए भी आगे बढ़े, यशवंत निवास रोड स्थित लैंटर्न होटल और रवींद्र नाथ टैगोर मार्ग स्थित जहाज महल, उपरोक्त दोनों संपत्तियों के बाजार मूल्य पर देय स्टांप शुल्क

1,28,09,900/- रुपये निर्धारित किया गया था, 200/- रुपये का स्टांप शुल्क केवल दस्तावेज घाटे पर भुगतान किया गया था शुल्क 1,28,09,700/- रुपये निर्धारित किया गया था। इसी आदेश से डाक टिकट कलेक्टर ने 12,80,97,000 रुपये का दस गुना जुर्माना भी लगाया।

14. इससे पहले कि हम संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, डाक टिकट कलेक्टर के आदेश को निकालना उपयोगी है जिसमें जुर्माना लगाने के संबंध में चर्चा शामिल है, जो इस प्रकार हैः

> ".....उपरोक्त पृष्ठभूमि में, विचाराधीन विलेख को उपहार विलेख की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। दस्तावेज़ के तहत वर्ष 2005-06 की स्थिति में विचाराधीन संपत्ति का कुल बाजार मूल्य 12,80,99,000/- रुपये पर निर्धारित किया गया है, जिस पर 1,28,09,900/- रुपये का कुल स्टांप शुल्क देय है। दस्तावेज़ पर केवल 200 रुपये का स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, शेष स्टांप शुल्क रु. 1,28,09,700/- और, चूंकि पक्ष ने शुल्क से बचने के इरादे से दस्तावेज़ की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 40 के तहत, दस गुना जुर्माना रु. 12,80,97,000/- लगाया जाता है। इस प्रकार, कुल 14,09,06,700/- रुपये 30 दिनों के भीतर खजाने में जमा किए जाएंगे।

15. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 40 में ज़ब्त किए गए मुद्रांकन उपकरणों पर मुद्रांकन करने की कलेक्टर की शक्ति का प्रावधान है। धारा 40 (1) जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है जो इस प्रकार हैः

> "40. संग्राहक द्वारा मुद्रांकित उपकरणों को जब्त करने की शक्ति। - (1) जब कलेक्टर धारा 33 के अधीन किसी लिखत को अभिगृहीत करता है, या धारा 38, उपधारा (2) के अधीन उसे भेजे गए किसी लिखत को प्राप्त करता है, जो केवल दस पैसे से अनधिक शुल्क या विनिमय पत्र या वचन पत्र के साथ प्रभार्य लिखत नहीं है, तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगाः –
>
> (क) यदि उसकी राय है कि ऐसा लिखत विधिवत मुद्रांकित है या शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर समर्थन द्वारा प्रमाणित करेगा कि यह विधिवत मुद्रांकित है, या यह कि यह इतना प्रभार्य नहीं है, जैसा भी मामला हो;
>
> (ख) यदि उसकी राय है कि ऐसा लिखत शुल्क के साथ प्रभार्य है और उस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो वह उचित शुल्क या उसकी भरपाई के लिए अपेक्षित राशि के भुगतान के साथ पांच रुपये के जुर्माने की मांग करेगा; या, यदि वह उचित समझता है, तो उचित शुल्क की राशि या उसके कम हिस्से की दस गुना से अधिक राशि, चाहे वह राशि पांच रुपये से अधिक हो या उससे कम होः
>
> बशर्ते कि, जब ऐसे लिखत को केवल इसलिए जब्त किया गया है कि यह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखा गया है, तो कलेक्टर, यदि वह उचित समझता है, तो इस धारा द्वारा निर्धारित पूरे जुर्माने को माफ कर सकता है।

16. धारा 40 (1) (ख) के अनुसार यदि कलेक्टर की राय है कि ऐसा लिखत शुल्क के साथ प्रभार्य है और उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, तो वह उचित शुल्क या उसकी भरपाई के लिए अपेक्षित राशि के भुगतान के साथ-साथ पाँच रुपये के जुर्माने की मांग करेगा; या, यदि वह उचित समझता है, तो उचित शुल्क की राशि या उसके कम हिस्से के दस गुना से अधिक राशि की मांग करेगा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 40 (1) (ख) की वैधानिक योजना इंगित करती है कि जब कलेक्टर संतुष्ट होता है कि उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो वह पांच रुपये के जुर्माने के साथ उचित शुल्क के भुगतान की अपेक्षा करेगा। धारा 40 (1) (ख) का सुसंगत भाग जो इन अपीलों में विचार के लिए आता हैः "या, यदि वह उचित समझता है, तो ऐसी राशि जो उचित शुल्क या उसके कम हिस्से की राशि के दस गुना से अधिक न हो।

17. अतः जुर्माने की राशि दस गुना से अधिक नहीं हो सकती है। "दस गुना से अधिक राशि नहीं" अभिव्यक्ति से पहले "**यदि वह उचित समझता है**" अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार, वैधानिक योजना, कलेक्टर को दस गुना से अधिक नहीं जुर्माना राशि लगाने का विवेकाधिकार देती है। जब भी कानून किसी प्राधिकरण को विवेकाधिकार हस्तांतरित करता है तो अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना है। विवेकाधिकार का प्रयोग सनक या कल्पना पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विवेक का प्रयोग उचित तरीके से तर्कसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। जुर्माने की राशि जो दस गुना से अधिक न हो, बल के रूप में लगाई जाने वाली राशि नहीं है। धारा 40 (1) (बी) के तहत दस गुना जुर्माना न तो स्वतः लगाया जाता है और न ही इसे यांत्रिक रूप से लगाया जा सकता है। उचित शुल्क या कमी के दस गुना के बराबर राशि के दस गुना जुर्माना लगाने की अवधारणा अधिनियम के अन्य प्रावधानों में भी आई है। हम इस संदर्भ में धारा 35 (क) का उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैंः

> "35 जिन उपकरणों पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वे साक्ष्य आदि में अस्वीकार्य हैं। - कर्तव्य के साथ प्रभार्य किसी भी दस्तावेज को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसे कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, या उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे व्यक्ति या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत या प्रमाणित किया जाएगा, जब तक कि ऐसे दस्तावेज पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई हैः
>
> बशर्ते कि –
>
> (क) ऐसे किसी भी लिखत को उस शुल्क के भुगतान पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा जिसके साथ वह प्रभार्य है, या, अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित किसी भी लिखत के मामले में, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि, पांच रुपये के जुर्माने के साथ, या , जब उचित शुल्क या उसके कमी वाले हिस्से की दस गुना राशि पांच रुपये से अधिक हो, तो ऐसे शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि;
>
> (ख) ... ..."

18. यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 35 में विचार किया गया है कि जब उचित शुल्क या उसके कम हिस्से की राशि का दस गुना पांच रुपये से अधिक हो जाता है, तो ऐसे शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर

राशि जमा करने की आवश्यकता होती है। धारा 39 के तहत कलेक्टर को जुर्माना वापस करने का अधिकार है। जैसा कि धारा 35 (क) के तहत ऊपर देखा गया है, ऐसे शुल्क या कमी वाले हिस्से के दस गुना के बराबर राशि का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन धारा 39 कलेक्टर को पांच रुपये से अधिक के जुर्माने के किसी भी हिस्से को वापस करने का अधिकार देती है जो निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया हैः "यदि वह उचित समझता है तो ऐसे लिखत के संबंध में भुगतान किए गए पांच रुपये से अधिक के जुर्माने के किसी भी हिस्से को वापस कर देता है।

19. विधायी आशय जो धारा 33, 35, 38 और 39 के पठन से स्पष्ट है, इंगित करता है कि लिखत के संबंध में विधिवत मुद्रांकित नहीं किए जाने पर, दंड का दस गुना सदैव नहीं रखा जाता है और दंड को कम करने के लिए धारा 39 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

20. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 39 (1) (ख) इस न्यायालय के समक्ष **गंगटप्पा और एक अन्य बनाम फक्कीरप्पा, 2019 (3) एससीसी 788** में विचार के लिए आई। (जिसमें हममें से एक अशोक भूषण, जे. सदस्य थे)।. इस न्यायालय ने विधायी योजना पर ध्यान दिया और अभिनिर्धारित किया कि विधायिका ने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया है कि सभी मामलों में दस गुना तक के दंड को अंततः प्राप्त किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

> "16. धारा 38 के तहत उपायुक्त को पांच रुपये से अधिक के जुर्माने के किसी भी हिस्से को वापस करने का अधिकार है जो ऐसे साधन के संबंध में भुगतान किया गया है। धारा 38 की उपधारा (1) में फिर से "यदि वह उचित समझता है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहां 10 गुना जुर्माना लगाया गया है, उपायुक्त को किसी विशेष मामले के तथ्यों में जुर्माना वापस करने का निर्देश देने का विवेकाधिकार है। जुर्माना वापस करने की शक्ति धारा 38 के तहत स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि विधायिका ने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया है कि सभी मामलों में 10 गुना की सीमा तक दंड अंततः प्राप्त किया जाना चाहिए। यद्यपि प्रक्रियात्मक भाग, जो अभिग्रहण और कर्तव्य और दंड की प्राप्ति का उपबंध करता है, धारा 33 के अधीन 10 गुना से कम दंड अधिरोपित करने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं देता है, तथापि जब धारा 38 के उपबंध को पढ़ा जाता है, तो दंड की वापसी के लिए उपायुक्त को दिया गया विवेकाधिकार धारा 39 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग के समान है, जहां दंड का निर्धारण करते समय वह 10 गुना से कम दंड अधिरोपित कर सकता है ।''
>
> 20. "यदि वह उचित समझता है" अभिव्यक्ति धारा 40 उपखंड (ख) में भी आती है। धारा 39 में होने वाली वही विधायी योजना धारा 40 (ख) में भी स्पष्ट है कि कोई विधायी इरादा नहीं है कि सभी मामलों में उचित स्टांप शुल्क या कम हिस्से की राशि के दस गुना की सीमा तक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। "यदि वह उचित समझता है" अभिव्यक्ति के उपयोग द्वारा कलेक्टर को दिया गया विवेकाधिकार कलेक्टर को पर्याप्त अक्षांश देता है कि वह उस मामले के लिए लगाए जाने वाले दंड की सीमा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाने के लिए पर्याप्त अक्षांश देता है

जहां उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है। पार्टी के आचरण, उसके इरादे सहित अपरिहार्य परिस्थितियाँ निर्णय पर आने के लिए प्रासंगिक कारक हैं।

21. दंड का उद्देश्य आम तौर पर एक प्रतिरोध होता है न कि प्रतिशोध। जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को विवेकाधिकार दिया जाता है, तो ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण को इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए न कि दमनकारी तरीके से। विवेक का उचित तरीके से प्रयोग करने की जिम्मेदारी उन मामलों में अधिक निहित है जहां कानून द्वारा निहित विवेक निरंकुश है। अत्यधिक दंड का अधिरोपण अर्थात शुल्क का दस गुना या उसके हिस्से की कमी केवल कर्तव्य की चोरी के तथ्य पर आधारित नहीं हो सकती है। राजस्व या अनुचित संवर्धन से वंचित करने के लिए धोखाधड़ी या छल जैसे कारण इस निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक कारक हैं कि धारा 40 (1) (ख) के तहत दंड की सीमा क्या होनी चाहिए।

22. हम पेटेती सुब्बा राव बनाम अनुमाला एस. नरेंद्र, 2002 (10) एस. सी. सी. 427 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। इस न्यायालय को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 40 के उपरोक्त मामले के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। धारा 40 का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित अवलोकन किया:

> "6 ..... कलेक्टर के पास संबंधित व्यक्ति से जुर्माना राशि के साथ उचित शुल्क का भुगतान करने की मांग करने की शक्ति है जिसे कलेक्टर को इसमें शामिल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तय करना है। जुर्माने की राशि लगाने में कलेक्टर पर लगाया गया प्रतिबंध यह है कि किसी भी परिस्थिति में जुर्माने की राशि शुल्क या उसके कम हिस्से के दस गुना से अधिक नहीं होगी। यह सबसे दूर की सीमा है जिसका अर्थ है कि केवल बहुत चरम स्थितियों में उस सीमा तक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हमारे लिए यह कहना अनावश्यक है कि जब भी कोई जब्त दस्तावेज भेजा जाता है तो कलेक्टर को निश्चित रूप से अधिकतम दंड की दर लागू करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक नहीं है। उसे संबंधित व्यक्ति की वित्तीय स्थिति सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

23. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि यह केवल अत्यंत चरम स्थिति में है कि दस गुना की सीमा तक दंड लगाया जाना चाहिए।

24. कलेक्टर ने अपने आदेश में दस गुना जुर्माना लगाकर लागू करने का कारण दिया है क्योंकि "पक्ष ने कर्तव्य से बचने के इरादे से दस्तावेज़ की वास्तविक प्रकृति का उल्लेख नहीं किया है"। जब कलेक्टर को कर्तव्य से बचने का इरादा हुआ, तो यह जुर्माना लगाने का मामला था, लेकिन क्या कलेक्टर द्वारा दिया गया कारण दस गुना अत्यधिक जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त है, इस सवाल पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने भी दस बार जुर्माना लगाने के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्नलिखित शब्दों में लगभग यही कारण दिया है:

> ".....लेकिन वर्तमान मामले में न्यास द्वारा सहमति पत्र के नाम पर पूरा शीर्षक जोगेश ढांडा और ईशान ढांडा को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसलिए इस तरह के लेन-देन पर भारी स्टांप शुल्क

से बचने का इरादा था। इसलिए, डाक टिकट कलेक्टर ने उचित रूप से 10 गुना जुर्माना लगाया है जो अधिनियम के तहत अधिकतम है।

उपरोक्त को देखते हुए, मुझे इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। इसी बात को खारिज किया जाता है "।

25. कलेक्टर या उच्च न्यायालय द्वारा अधिकतम दस गुना जुर्माना लगाने को उचित ठहराते हुए कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। यह कलेक्टर का मामला नहीं है कि अपीलार्थी का आचरण बेईमान या अपमानजनक था। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि यद्यपि जोगेश ढांडा और ईशान ढांडा के पक्ष में न्यासियों द्वारा अंतरण विलेख निष्पादित करने के लिए 06.04.2005 को प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने जानबूझकर 200/- रुपये के स्टांप पेपर पर सहमति विलेख के नाम पर विलेख निष्पादित किया। कलेक्टर के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण के लिए कि दस्तावेज़ को सहमति पत्र के रूप में वर्णित करने में स्टाम्प शुल्क से बचने का इरादा था, जुर्माना लगाने की मांग की गई थी, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों और कारणों में जो स्टाम्प कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है, हम संतुष्ट हैं कि यह स्टाम्प शुल्क की कमी के दस गुना अत्यधिक जुर्माना लगाने का मामला नहीं था। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि स्टांप शुल्क में कमी के आधे यानी पांच गुना की सीमा तक लगाए गए दंड को कम करने में न्याय का अंत किया जाएगा।

26. परिणामस्वरूप अपीलों की अनुमति दी जाती है दिनांक 22.09.2008 के डाक टिकट कलेक्टर के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि 12,80,97,000 रुपये के दस गुना जुर्माना लगाया गया है, जिसे पांच गुना जुर्माना यानी 6,40,48,500 रुपये में संशोधित किया गया है। अपीलों को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

देविका गुजराल अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

दिव्या कुमारी की देखरेख में, अभिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।